

फर्द अहकाम

आयालय उपखण्ड अधिकारी चाकरसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 2114/2024

जयराम बनाम कजोड

संक्र. आदेश कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 को समयक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लारी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को तार्फैसलावाद मौके की यथारिथति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">31 उपखण्ड अधिकारी चाकरसू(जयपुर)</p>	